न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 73/2019

TCMS NO. : 2019/00095

–:: प्रार्थीगण ::–

1. जसाराम पुत्र शिवराम
जाति– कुमावत, निवासी– बेरा डाबीया वाला बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. धन्ना पुत्र भबूत
2. भंवरू पुत्र नाथा
3. ओमप्रकाश पुत्र मोहन
4. देवा पुत्र हजारी
5. निहालचंद पुत्र धूकल
6. नवीनकुमार पुत्र धूकल
7. गलकाई पुत्री धूकल
8. भालीदेवी पुत्री धूकल
9. जीयादेवी पुत्री धूकल
10. गोगली पुत्री धूकल
11. बगदूदेवी पत्नी नवीनकुमार
जातियान– कुमावत, निवासीगण– बेरा डाबीया वाला बलून्दा तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
12. तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 29/05/2019

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री मोहनलाल कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 27/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा प्रथम पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1562 रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 1579 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 1582 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 1592 रकबा [illegible], ख0नं0 1596 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 [illegible], ख0नं0 1598 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 1599 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल 8 कुल रकबा 93 बीघा 08 बिस्वा आयी हुई है। जिसमे स[illegible] का 1/3 हिस्सा आता है तथा इसी हिस्सेनुसार सायल मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है व खसरा नम्बर 1588 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा की आई हुई है, जिसमे सायल का 1/6 हिस्सा आता है तथा इसी हिस्सेनुसार सायल मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 18:29:54 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसकी जमाबन्दी संवत 2073 2076 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की साथ संलग्न है जिसे प्रार्थनापत्र का आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान् की क्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी गाडा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं रसायलान् के नाम स्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से श्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व र्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन गैरसायलान् सायल के साथ सीमा को कर विवाद करते रहते है एवं सायल की खन्दक/मेडबन्दी को तोडफोडकर देते है सायल की बोई हुई फसल को नुकसान कारित करते है तथा सायल को हर मय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त कृषि भूमि यल एवं गैरसायलान् की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि मे होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि रने हेतू बैंक से ऋण नहीं ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि योजनार्थ रूपान्तरण नही करवा सकता एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेको कार की कठिनाईयो तथा समस्याओ का समना करना पड़ता है इसलिए सायल ने रसायलान् को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने क हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी टवाडा करवाने हेतू दिनांक 24/4/19 को कहा तो गैरसायलान् स्पष्ट रूप इंकार ुए एवं गैरसायलान् जो कि संख्या व शक्ति एवं धनबल वाले है जिन्होने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानून बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण रहन सीयत आदि कर देते एवं सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे। यदि गैरसायलान् अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं सायल को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो तथा खातेदारी कबजे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार अनि जसारामकी पेचीदगिया बढेगी। जिससे सायल खर्चे से जेर बार हो जायेगा। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का व वाद बाबत बंटवाडा स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त कृषिभूमि का सायल काश्तकार होने से एवं सायल का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी है तथा मौके पर सायल का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हरदृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है यदि प्रतिसायल अपने नापाक मंसुबो में सफल हो जाते है तो सायल को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

एवं मल्टीप्लीसिटी आफ प्रोसिडिंग्स् बचेगी। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई धाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा ल का मौके पर अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में है। यदि सायलान् बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बटवाडा करवाये ही उक्त मि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं यल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देते है तथा कच्चा पक्का निर्माण कर है तो अपूर्णिय क्षति सायल को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही गी एवं सायल अपने खातेदारी हक हकूको एवं अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को के जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश । अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 मे वर्णित सरहद मौजा बलून्दा प्रथम पटवार ल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली ज0 मे सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1562 रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 1579 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 1582 रकबा 1 बीघा बिस्वा, ख0नं0 1592 रकबा 14 बीघा, ख0नं0 1596 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 1597 रकबा 6 बीघा, ख0नं0 1598 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 1599 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल 8 कुल रकबा 93 बीघा 08 बिस्वा मे से 1/3 हिस्से व बंट की भूमि व खसरा नम्बर 1578 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा मे से 1/6 हिस्से व बंट हक हिस्से व बंट की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई बुवाई कटाई निराई गुडाई सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् उनके बाल बच्चे नोकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार नातेदार आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी एवं अडचन व्यवधान रोकटोक आदिनतो स्वयं करे न ही अन्य से करावे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे व जब तक उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान् उक्त संयुक्त सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि नही करे एवं सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे तथा उक्त कृषि भूमि को खुर्द [illegible] करे परिवर्तन नही करे कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे मौके [illegible] को यथावत् बनाये रखने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। [illegible] प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई इस्तदुआ सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो वो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 03, 07 से 11 बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 से 6 की ओर से वकालतनामा पेश किया ा, जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 जवाब प्रार्थनापत्र पेश ों करना चाहते, अतः अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया जाता । अप्रार्थी संख्या 2, 04 से 6 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि ार्थनापत्र के पद संख्या एक का जवाब है कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का लून्दा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1562 रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 1579 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 1582 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 1592 रकबा 14 बीघा, ख0नं0 1596 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 1597 रकबा 6 बीघा, ख0नं0 1598 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 1599 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल 8 कुल रकबा 93 बीघा 08 बिस्वा भूमि सायल एवं गैरसायलन के नाम की अपने बाप दादा के समय से आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर मौके पर अपने अपने हिस्से माफिक काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे हैं एवं खसरा नम्बर 1579 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि की गैर मुमकिन ढाणी आई हुई है। उक्त तथ्य के अलावा पूरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र का पद संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार । उपरोक्त कृषि भूमि सायल व गैर सायलान के बाप दादा के समय से यानि 40 वर्षो से अधिक समय से मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर मोके पर अलग अलग काश्त करते आ रहे हैं इसलिये यह नये सिरे से बंटवाड़ा करनें की कोई आवश्यकता नहीं है। सायल ने केवल मात्र उक्त वाद पेश करनें के लिये पूरे फिकरे में गलत तथ्य अंकित किये जो अस्वीकार है। मौके पर कभी अपने अपने कब्जे को लेकर विवाद नहीं हुआ है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है। गैर सायलान द्वारा दिनांक 24.04.2019 को किसी प्रकार की ऐलानिया धमकी न हीं दी सायल ने केवल मात्र वादपत्र/प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें के लिये झूठे तथ्य अंकित किये है। सायल धनबल के आधार पर गैर सायलान को तंग परेशान करता आ रहा है। एवं गैरसायलान के राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से की आराजी का उपयोग, उपभोग रहन बैचान आदि करनें से रूकवानें का सायल को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त तथ्य के अलावा पुरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है कि उपरोक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में हिस्से अलग अलग दर्ज है व मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार आज से 40 वर्षो से अधिक समय से बंटवाड़ा व बंट कर अलग अलग काबिज है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथ[illegible] कर निवेदन है कि सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र [illegible] खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः–

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

. ***प्रथम दृष्ट्या मामला :–*** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ारा वादग्रस्त आराजी जो कि अविभाजित सहखातेदारी भूमि है का कानूनन बंटवाड़ा ग वाद पत्र प्रस्तुत करते हुये हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया ो न्यायालय हाजा में जैरकार है। प्रार्थी का कथन है कि वह वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है तथा उसे अपना हक हिस्सा का विभाजन करवाने का पूर्ण अधिकार है। तथा दौराने वाद विचारण यदि अप्रार्थीगण सहखातेदारान् द्वारा किसी अजनबी क्रेता को वादग्रस्त आराजी में से किसी विशिष्ट भू भाग का बैचान हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें। अप्रार्थीगण संख्या 02, 04 से 06 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि है, जिसका मौके पर बाप दादा के समय से आपसी सहमति से बंटवाड़ा होकर हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। शेष कथन अस्वीकार है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता हैं, इसलिये प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि है। जिसके कानूनन बंटवाड़ा बाबत् प्रार्थी का वादपत्र न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं। प्रत्येक सहखातेदार को अपना हक हिस्सा पृथक करवाने का अधिकार होता है तथा यदि दौराने विचारण वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण आदि होता है या भू अभिलेख में परिवर्तन होता हैं तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थी के पक्ष में स्थापित हुआ है, साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी द्वारा वादपत्र में अपने हक हिस्से का बंटवाड़ा चाहा है। प्रत्येक सहखातेदार का उसके हक हिस्से तक सहखातेदारी भूमि में सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में होता है। जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतः बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हुये है तथा प्रार्थी का वादपत्र वादग्रस्त उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि में से अपने हक हिस्से के बंटवाड़े से सम्बन्धित है तथा दौराने विचारण यदि किसी सहखातेदार द्वारा किसी विशिष्ट भू भाग का बैचान/हस्तान्तरण किया जाता है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता एवं विलम्ब कारित होना स्वाभाविक है, जिसका क्षतिकारक प्रभाव प्रार्थी पर ही होगा। यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्थापित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.24 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंतिम हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसके कानूनन बंटवाड़े हेतु वादपत्र न्यायालय हाजा में जैरकार है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू उभयपक्षकारान् के पक्ष में साबित होता है, अतः हम हस्तगत वादपत्र के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें तथा वर्तमान मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक विधि संगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता हैं। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलून्दा प्रथम पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 1562 रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 1579 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 1582 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 1592 रकबा 14 बीघा, ख0नं0 1596 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 1597 रकबा 6 बीघा, ख0नं0 1598 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 1599 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल 8 कुल रकबा 93 बीघा 08 बिस्वा पर उभयपक्षकारान् वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, रहन बैचान व हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें तथा वर्तमान मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनाँक 27/12/2021 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)